

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प संवरिया

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शंवीरया व भू.अ.नि. काकापर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ल.प्र.।/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील संवरिया व जिला संवरिया की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
233/18	डीण्डावा	121	रा.प्रा.वि. डीण्डावा	रा.प्रा.वि. डीण्डावा
233/18	"	119	रा.प्रा.वि. पाठ कोला मीला का डण्डा	रा.प्रा.वि. कोला मीला का डण्डा
233/18	गिडा	86	मगाराम पि. खैता	मगाराम पि. खैताराम
234/18	डीण्डावा	52	हरदान पि. गुला	हरदानराम पि. गुलाराम
234/18	जीदरो की डण्डा	15	जीवा कल्द जीधरा	जीवाम कल्द जीधराम
234/18	"	54	रा.प्रा.वि. डूड कीया की डण्डा	रा.प्रा.वि. डूड कीया की डण्डा
234/18	"	55	रा.प्रा.वि. जीदरो की डण्डा	रा.प्रा.वि. जीदरो की डण्डा



(Signature)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,